न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री भवानीसिंह (आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 45/2023

क्रमांक/आवेदन/2024/ दिनांक :

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
कैलाशसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाडमेर	गफूरखान पुत्र धना वगैरा (09)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक शिव को प्रार्थीगण की मौजा मतुजा, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 323/218 रकबा 8.9840 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवानें हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौके पर पक्षकारान् के मध्य कब्जा को लेकर विवाद होने की स्थिति में नेखमबंदी नहीं की जावें। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू–अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2024/ दिनांक :

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार शिव को सुचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक शिव को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी हाथीसिंह का गांव को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक शिव द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थी कैलाशसिंह पुत्र सवाईसिंह वगैरा ( ) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण गफूरखान पुत्र धना वगैरा (09) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner